भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.59

(जिसका उत्तर सोमवार 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को दिया जाना है)

तमिलनाडु के कर अंतरण हिस्से में गिरावट

59. श्री के.ई.प्रकाश:

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष कर संग्रह में उच्चतम योगदानकर्ताओं में से एक होने के बावजूद, तमिलनाडु के कर अंतरण के घटते हिस्से और तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति कम केंद्रीय हस्तांतरण के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर संज्ञान लिया है;

(ख) क्या केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, सहायता अनुदान, आपदा राहत सहायता या किसी अन्य वित्तीय अंतरण के अंतर्गत तमिलनाडु को स्वीकृत कोई भी निधि आज की तिथि के अनुसार जारी होने के लिए लंबित है, का क्षेणी-वार ओर वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, यदि हॉ, तो इस प्रकार की देरी ओर निलंबन के क्या कारण हैं तथा राज्य सरकार को लंबित निधियां किस समय-सीमा तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने क्या तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाई गई इन चिंताओं की जांच की है कि वर्तमान वित्त आयोग के हस्तांतरण के मानदंड जनसंख्या-आधारित संकेतकों के अत्यधिक अनुकूल हैं, जिससे उन राज्यों का राजकोषीय हिस्सा कम हो जाता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और उच्च आर्थिक प्रदर्शन हासिल किया है; और

(घ) क्या सरकार केंद्रीय बजट आवंटन और केंद्रीयप्रयोजित योजनाओं के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि तमिलनाडु को कर अंतरण और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अंतरण के हिस्से में वृद्धि हुई है। 16वें वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) में तमिलनाडु को कर हस्तांतरण का हिस्सा बढ़कर 4.097% हो गया, जबकि 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान यह 4.079% था। इसके अलावा, तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति केंद्रीय हस्तांतरण (कर हस्तांतरण, सीएसएस, वित्त आयोग अनुदान और एसएएससीआई) वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग ₹9,500 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग ₹11,600 हो गया है।

(ख) तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों को सीएसएस स्कीमों के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति और रिलीज भारत सरकार के योजना कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। ये जारी की गई राशि योजना दिशानिर्देशों, जीएफआर 2017 आदि के अनुसार है। इसके अलावा, एसएनए स्पर्श की शुरुआत के साथ, राज्यों को ऑनबोर्ड सीएसएस योजनाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि राज्यों द्वारा वास्तविक व्यय के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर जारी की जाती है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बिना शर्त सहायता अनुदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी किए जाते हैं जबकि निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर निष्पादन से जुड़े अनुदान (सशर्त अनुदान) जारी किए जाते हैं। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान तमिलनाडु को सीएसएस अनुदान के तहत 1,11,904 करोड़ रुपये और वित्त आयोग अनुदान के तहत 34,513 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) 16वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों में दक्षिणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक) का क्षैतिज हिस्सा 15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) में 15.800% की तुलना में बढ़कर 17.001% हो गया है।

(घ) सरकार आवधिक रूप से योजना आबंटनों की समीक्षा करती है। किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों सहित केन्द्रीय बजट आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा की गई व्यापक मध्यावधि समीक्षा पर आधारित होता है।
